न्यायालय, उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

एस0ए0आर0 अपील वाद सं0–02/2022–23

मनोज खड़िया
बनाम
बिनोद टेटे

आदेश

25.10.23 यह अपील वाद अपीलार्थी मनोज खड़िया एवं सुधीर केरकेट्टा वल्द स्व0 फागु खड़िया, ग्राम– कोलेबिरा पुजारटोली, थाना – कोलेबिरा, जिला – सिमडेगा ने अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा के न्यायालय का SAR वाद सं0– 05/2018–19 (मनोज खड़िया वगैरह बनाम बिनोद टेटे) में दिनांक 05.03.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध में दायर किया है। साथ ही Limitation Act की धारा U/s 5 के तहत विलंब को क्षांत करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है। अपील सुनवाई हेतु दिनांक 23.08.2022 को अंगीकृत किया गया। उभय पक्षों को उपस्थित होने एवं कारणपृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

नोटिस के अनुपालन में उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। विपक्षी बिनोद टेटे, पिता – स्व0 कन्दरा टेटे, ग्राम – कोलेबिरा, थाना – कोलेबिरा, जिला – सिमडेगा द्वारा दिनांक 22.11.2022 को कारणपृक्षा दाखिल किया गया। दिनांक 03.10.2023 को उभय पक्षों को सुना गया । अंचल अधिकारी, कोलेबिरा से भूमि संबंधी एवं वंशावली संबंधी प्रतिवेदन की मांग की गई थी, जो प्राप्त है।

2. सुनवाई के दौरान अपीलार्थी के अधिवक्ता ने कहा कि इस अपील वाद की विवादित भूमि मौजा – कोलेबिरा के खाता संख्या 225, प्लॉट संख्या 1378 रकबा 1.50 एकड़ एवं खाता संख्या 226 के प्लॉट संख्या 1376 रकबा 0.33 एकड़ कुल रकबा 1.83 एकड़ से संबंधित है। विवादित भूमि को वापस करने हेतु आवेदक ने अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71A के तहत भूमि वापसी हेतु आवदेन दिया था जो SAR वाद सं0– 05/2018–19 (मनोज खड़िया वगैरह बनाम बिनोद टेटे) के रूप में पंजीकृत हुआ। विवादित भूमि सर्वे खतियान के अनुसार जीतू पाहन एवं अन्य के नाम से बकाश्त भूईहरी भूमि दर्ज है।

विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया कि आवेदक के पक्ष को बिना सुने अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा ने प्रश्नगत भूमि को उत्तरवादी बिनोद टेटे को वापस कर दिया है, जो सही नहीं है। बकाश्त भूईहरी जमीन का हस्तानान्तरण छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 48 (3) के अन्तर्गत प्रतिबंधित किया गया है। उत्तरवादी बिनोद टेटे एवं उनके पूर्वज खतियानी रैयत के वंशज नही है तथा एक थाना के निवासी भी नहीं है। CNT Act के प्रावधानुसार भूमि का हस्तानान्तरण एक ही थाना के निवासियों के बीच किया जा सकता है। विज्ञ अधिवक्ता ने यह भी बताया कि फागु खड़िया ने भूमि की विक्री हेतु परमिशन के लिए आवेदन अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा के समक्ष दिया था जिसका परमिशन वाद संख्या 50/1981–82 था। जिसमें आदेश दिनांक 17.07.1981 द्वारा विक्री हेतु परमिशन दिया गया है। बताया गया कि यह आदेश भी वास्तविक आवासीय प्रमाण जांच किये बिना पारित किया गया है। विपक्षी बिनोद टेटे ग्राम – कोलेबिरा, थाना – कोलेबिरा के स्थायी निवासी नही है बल्कि ग्राम –

Scanned by CamScanner

झिकिरमा, थाना– पालकोट, जिला – गुमला के स्थायी निवासी है। अपीलार्थी विपक्षी अलग–अलग गोत्र के भी है। अन्त में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि निम्न न्यायालय का आदेश न्यायसंगत नही है जिसे रद्द किया जाना चाहिए एवं अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जानी चाहिए। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने दावे के समर्थन में में खतियान एवं अन्य कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया है। साथ ही AIR 1994 Supreme Court 853 के ruling का भी cite किया गया है।

3 विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने बहस में बताया कि विवादित भूमि मौजा – कोलेबिरा के खाता संख्या 225, प्लॉट संख्या 1378 रकबा 1.50 एकड़ एवं खाता संख्या 226 के प्लॉट संख्या 1376 रकबा 0.33 एकड़ कुल रकबा 1.83 एकड़ से संबंधित है। विवादित भूमि को उत्तरवादी के दादा जाकु खड़िया ने अपीलार्थी के दादा ढकना पुजार से खरीद कर हासिल किया है। भूमि कि क्रय – विक्रय हेतु विधिवत् CNT Act की धारा 46 के तहत् अनुमति प्राप्त कर वाद संख्या 50/1981–82 में अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है।

प्रश्नगत भूमि का निबंधित पट्टा संख्या 801/818 दिनांक 23.12.1981 है। जिसके पश्चात् उत्तरवादी के दादा जाकु खड़िया ने अंचल कार्यालय, कोलेबिरा में आवेदन देकर दाखिल–खारिज कराया है, जिसका दाखिल–खारिज केस नं0 48R27/1983-84 है। इस वाद में बिना कोई आपत्ति के दिनांक 01.07.1983 को दाखिल–खारिज स्वीकृत कर जमाबंदी कायम किया गया है।

उक्त भूमि का रैयती हक हासिल करने के बाद अबतक बिना किसी आपत्ति के वे शांतिपूर्ण दखलकार है तथा प्रति वर्ष सरकार को मालगुजारी लगान रसीद कटा रहे है। यह कहा गया कि अपीलार्थी उनकी खरीदगी भूमि को बिना हक के किसी अन्य को बेचना चाहते है।

अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा द्वारा SAR वाद सं0– 05/2018–19 मनोज खड़िया वगैरह बनाम बिनोद टेटे में पारित आदेश न्यायसंगत है तथा यह अपील पोषणीय नही है, इसलिए अपील आवेदन खारिज किया जाय।

4 विवादित भूमि के संबंध में अंचल अधिकारी, कोलेबिरा से जांच प्रतिवेदन एवं वंशावली की मांग की गई थी, जो प्राप्त है। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार निम्नांकित तथ्य स्पष्ट हुये है :

विवादित भूमि मौजा – कोलेबिरा, थाना नं0 – 113, खाता संख्या – 225, 226 प्लॉट क्रमशः 1378, 1376 रकबा – 1.50 एकड़ एवं 0.33 एकड़ से संबंधित है। मौजा – कोलेबिरा, थाना नं0 – 113, खाता संख्या – 225 प्लॉट नं0 1378 रकबा – 1.50 एकड़ किस्म – टांड़ दो बकास्त भूईहरी पहनई नाम लगान पाने वाला मितु पाहन वगैरह एवं खाता संख्या – 226 प्लॉट नं0 1376 रकबा – 0.33 एकड़ टांड़ दो बकास्त भूईहरी पहनई नाम लगान पाने वाला डुड़ला पहान के नाम पर सर्वे खतियान में दर्ज है। स्पष्ट है कि भूमि की प्रकृति बकास्त भूईहरी पहनई है। मनोज पाहन खतियानी रैयत मितु पाहन के वंशज है एवं कोलेबिरा के पाहन है। पंजी II में खाता संख्या 225 एवं 226 प्लॉट संख्या 1378 रकबा 1.50 एकड़ एवं प्लॉट संख्या 1376 रकबा 0.33 एकड़ की जमाबंदी जाकु खड़िया वल्द दसाई खड़िया के नाम पर है। इसमें इन्द्राज कर्त्ता का हस्ताक्षर नही है।

Scanned by CamScanner

वर्त्तमान जमाबंदीदार से संबंधित लोगों से पूछे जाने पर उनके द्वारा बताया गया कि वे कोई भी कागजात नही दिखायेगें और न ही कोई जानकारी देंगे, उन्हें जो भी कहना है वे न्यायालय में कहेगें। स्थानीय लोगो से पूछ–ताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि जमाबंदीदार के वंशज विनोद टेटे कोलेबिरा के मूल निवासी नही होकर थाना – पालकोट, जिला – गुमला के निवासी है। विनोद टेटे ने ही प्लॉट संख्या – 1378 के आंशिक भाग में मकान, शौचालय बनाकर (0.11 एकड़) रह रहें हैं तथा भूमि का शेष भाग परती एवं खाली है। प्लॉट संख्या – 1378 के उत्तरी भाग में एक कुँआ (12 फीट व्यास) जो पुजार कुँआ के नाम से आस–पास के लोगों में जाना जाता है। इसे खतियानी रैयत मितु पाहन के वंशज मनोज पाहन के दादा ढ़कना पाहन के द्वारा बनाया गया था, जिसका विगत वर्षो में पुर्ननिर्माण भी कराया गया है।

विवादित भूमि का प्लॉट संख्या 1376 जो प्लॉट संख्या 1378 के उत्तरी भाग में है तथा जिस पर ढ़कना पाहन के अलावा खतियानी रैयत के अन्य वंशजो के साथ कुछ अन्य लोगो (10–12 लोगों) का कब्र भी है।

अंचल अधिकारी, कोलेबिरा के प्रतिवेदनानुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा स्थल जाकर स्थानीय ग्रामीणो से वंशावली से संबंधित जानकारी ली गई है। ग्रामीणों के अनुसार वंशावली निम्न प्रकार है जिसकी पुष्टि वार्ड सदस्य एवं मुखिया द्वारा की गई है।

खाता संख्या 225 नाम लगान पाने वाला का नाम

मीतु पाहन वो लेदा पाहन (नावल्द मृत)

ढ़कना पाहन

सोहराई पाहन (नावल्द मृत) — फागु पाहन

मनोज खड़िया (आवेदक) — सुधीर केरकेट्टा

खाता संख्या 226 नाम लगान पाने वाला का नाम डुन्डला पाहन (नावल्द मृत)

जाकु खड़िया वल्द दसई खड़िया (क्रेता)

1. कन्दरा खड़िया 2. भगता टेटे 3. बुधराम टेटे 4. बन्धु टेटे

विनोद टेटे

5. अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा ने अपने SAR वाद सं0– 05/2018–19 (मनोज खड़िया वगैरह बनाम विनोद टेटे) में दिनांक 05.03.2022 को पारित आदेश में उल्लेख किया है कि विपक्षी विनोद टेटे, पिता – स्व0 कन्दरा टेटे, ग्राम – कोलेबिरा, थाना – कोलेबिरा, जिला – सिमडेगा द्वारा प्रश्नगत् भूमि की खरीदगी से संबंधित कागजात/ दाखिल–खारिज वाद संख्या 48R27/1983-84 एवं लगान रसीद की छायाप्रति दाखिल किया है। आवेदक मनोज खड़िया पिता – स्व0 फागु खड़िया ग्राम – कोलेबिरा पुजारटोली, अंचल एवं थाना – कोलेबिरा, जिला – सिमडेगा द्वारा आवेदित भूमि के संदर्भ में किसी प्रकार का कागजी साक्ष्य एवं जवाब स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल नहीं किया गया है। प्रतिवादी विनोद टेटे खाता

Scanned by CamScanner

संख्या 225 एवं 226 के रैयत है तथा वे खतियानी रैयत के वंशज है। इस वि... संतुष्ट होकर अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा द्वारा CNT Act की धारा 71A के त... विपक्षी के पक्ष में प्रश्नगत भूमि को वापस करने का आदेश दिया है।

6. उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं के बहस/तर्क आदि को सुना तथा उनके द्वारा दाखिल कागजातों एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा द्वारा पारित आदेश का भी अवलोकन किया तथा जांच प्रतिवेदन को भी देखा।

विज्ञ अधिवक्ताओं के द्वारा किये गये बहस/ तर्क, उनके द्वारा दाखिल कागजातों/ रूलिंग, अंचल अधिकारी, कोलेबिरा द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन तथा अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा द्वारा पारित आदेश आदि के अवलोकनोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि विवादित भूमि का क्रय–विक्रय लगभग 42 वर्ष पूर्व में ही सक्षम पदाधिकारी से विधिवत अनुमति प्राप्त कर निबंधित पट्टा के माध्यम से किया गया है। प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी शांतिपूर्वक दखलकार हैं। साथ ही अंचल अधिकारी द्वारा निबंधित पट्टा के आधार पर दाखिल–खारिज कर लगान रसीद भी निर्गत किया गया है। अतएव, प्रश्नगत भूमि के संदर्भ में तत्कालीन सक्षम पदाधिकारी द्वारा दिया गया परमिशन आदेश को वर्त्तमान में रद्द करने का कोई विधि–सम्मत् औचित्य नहीं है। साथ ही, चूंकि भूमि का क्रय–विक्रय भी निबंधित पट्टा से किया गया है, जिसे निरस्त करने हेतु यह न्यायालय सक्षम नहीं है, किन्तु यदि अपीलार्थी चाहें तब विवादित भूमि का पट्टा रद्द करने एवं अपने स्वामित्व को कायम करने हेतु सक्षम न्यायालय में अपील कर सकते है।

वर्णित स्थिति में इस अपील वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

25.10.23

उपायुक्त,
सिमडेगा।

25.10.23

उपायुक्त,
सिमडेगा।

Digitally signed by Ajay Kumar Singh
Date: 2024.06.29 13:36:18 +05:30
Location: 192.168.137.1

Scanned by CamScanner